

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरु संभाग चूरु

कार्यालय आदेश

राजस्थान अधिनस्थ सेवा नियम 1971 के नियम 25 के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशानुसार शिड्यूल प्रथम के सेक्शन (एफ) द्वितीय वेतन श्रृंखला के वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी) के पदों पर संलग्न सूची में अंकित तृतीय श्रेणी अध्यापकों को वर्ष 2019-20 की रिक्तियों के विरुद्ध चयनित किये जाने पर चयनित वर्ष/कार्यग्रहण करने की तिथि से नियमानुसार राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम -17 के अनुसार लेवल-11 में उनके नाम के आगे अंकित विद्यालयों में पदस्थापित किया जाता है। पूर्व से ही उच्चतर वेतनमान पा रहे कार्मिकों को उनका विद्यमान वेतन ही देय होगा।

पदोन्नत कार्मिक को पदोन्नति पर पदस्थापित स्थान पर दिनांक 08.07.2019 तक कार्यग्रहण करना अनिवार्य होगा। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर पदोन्नति परित्याग माना जावेगा। संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नत कार्मिक को निर्धारित तिथि तक पदोन्नति ग्रहण करने हेतु यथा समय कार्यमुक्त अनिवार्य रूप से करें। यदि पदोन्नत कार्मिक पदोन्नति ग्रहण नहीं करना चाहता है तो संबंधित कार्मिक से लिखित में पदोन्नति परित्याग करने का आवेदन पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को स्वीकृति हेतु दिनांक 09.07.2019 तक अनिवार्यतः भिजवा दे तथा संबंधित कार्मिक की सेवा पुरितका में पदोन्नति परित्याग करने का अनिवार्यतः इन्द्राज करें।

संबंधित संस्था प्रधान/ कार्यालयध्यक्ष कार्मिकों से निम्नांकित धोषणा पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही पदोन्नति पर कार्यमुक्त /कार्यग्रहण करायेगें।

1. राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ-7(1) डीओपी/ए-11/95 दिनांक 20-06-2001 के प्रावधानानुसार दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान नहीं है।
2. आदेश में वर्णित सभी प्रविष्टियों के सत्यापन पश्चात् ही कार्मिक को कार्यमुक्त किया जाये अन्यथा तत्काल इस कार्यालय को सूचित करें।
3. संबंधित कार्मिक पदोन्नत विषय एवं वीएड योग्यता रखते हैं प्रमाणन हेतु उक्त विषय में स्नातक योग्यता की अंकतालिका की प्रति प्राप्त की जाकर कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण करवाना सुनिश्चित करेंगे। पदोन्नति की सूचना संबंधित कार्मिक की सेवा पुरितका में अंकित करेंगे।
4. यदि संबंधित कार्मिक के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है /निलम्बित हो /न्यायालय स्थगन से कार्यरत हो तो उनको कार्यमुक्त नहीं किया जावे एवं संबंधित नियंत्रण अधिकारी रजिस्टर्ड डाक से इस संबंध में इस कार्यालय को सूचित करेंगे।

संलग्न सूची में अंकित कार्मिकों को आदेश तामील करवाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान / कार्यालयाध्यक्ष की रहेंगी। यदि इनका कार्यरत स्थान परिवर्तित हो गये हैं तो इनके परिवर्तित/वर्तमान स्थान पर उक्त आदेश तामील करवाये जावे।

अयोग्य/अपात्र कार्मिकों की सूचना तत्काल रजिस्टर्ड डाक से इस कार्यालय एवं संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा को सूचित करेंगे।

संलग्न:-आदेश संख्या-1


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग चूरु
दिनांक :- 28.06.2019

क्रमांक:-संनि/स्कूल शिक्षा/चूरु/संस्था-ब/डीपीसी 19-20/व.अ.अंग्रेजी/2019
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :-

1. श्रीमान सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर
2. श्रीमान उपशासन सचिव शिक्षा ग्रुप-2 शासन सचिवालय जयपुर
3. श्रीमान निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान-बीकानेर
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक/प्रारम्भिक
5. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
6. श्रीमान सिस्टम एनालिस्ट, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
7. संबंधित संस्था प्रधान/पीईईओ को निर्देशित किया जाता है कि पदोन्नति कार्मिक को यथासमय कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करें। यदि कार्मिक लिखित में पदोन्नति का परित्याग नहीं देता है तो आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। पदोन्नति परित्याग की प्रविष्टि संबंधित कार्मिक की सेवा पुरितका में किये जाने की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था प्रधान की होगी।
8. संबंधित कार्मिक
9. रक्षित पत्रावली


संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु संभाग चूरु

कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), चूरु सम्भाग, चूरु

क्रमांक:-संनि/स्कूल शिक्षा/चूरु/संस्था-ब/डीपीसी 19-20/व.अ. अंग्रेजी/2019


दिनांक 28.06.2019

विषय-वरिष्ठ अध्यापक (अंग्रेजी)

आदेश सं. 01

वर्ष 2019-20

क.स.	मण्डल वरिष्ठता क्रमांक	अवधी	नाम अध्यापक / मय पिता/ पति का नाम एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	जाति वर्ग	पदोन्नति पर पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1	2196	72-98	बनारसी पुनीया/ रामनाथ सिंह रामावि. बीबासर झुं	02-05-64	GEN	रामावि बारवा, नवलगढ़, झुन्झुनूं
2	5427	72-98	सुनिता कुमारी/सुभाषचन्द्र राउमावि कलाखरी बुहाना झु0	10-12-71	GEN	रामावि नावता, बुहाना, झुन्झुनूं
3	5793 -018	72-98	सगीता / गिरधारी लाल राउमावि आनन्द नगर, सीकर	01-11-74	GEN	रामावि बराल, पिपराली, सीकर
4	1598A	72-98	घनश्याम चन्द्र पारीक/बनवारीलाल पारीक राउमावि हमीरी कलां, झुन्झुनूं	08-01-67	GEN	राउमावि सैनीपुरा, नवलगढ़, झुन्झुनूं
5	2205 -63	72-98	भागीरथमल/रामपाल रामावि दीपपुरा राजाजी सीकर	06-07-69	GEN	राउमावि लोढसर, सुजानगढ़, चूरु
6	2440	72-98	श्री हनुमान प्रसाद/चुन्नीलाल राउमावि, जयसंगसर, सरदारशहर	03-07-68	GEN	राउमावि कंवलासर, सरदारशहर, चूरु
7	5090A -006A	72-98	सुरेन्द्र सिंह/भंवर सिंह राउमावि बागडोदा फतेहपुर सीकर	10-12-68	GEN	राउमावि गुढा गौड़जी, उदयपुरवाटी, झुन्झुनूं
8	5220	72-98	श्री राजेश कुमार/रामस्वरूप राउमावि लम्बोर बडी, राजगढ़ चूरु	08-02-69	GEN	रामावि लीलकी, राजगढ़, चूरु
9	5793 -025	72-98	महावीर प्रसाद बीसू/ भगवानाराम बीसू, राउमावि टाटनवा धोद सीकर	20-08-72	GEN	राउमावि भीरान, दांतारामगढ़, सीकर
10	6546A -II	72-98	बुद्धराम/सीताराम राउमावि मानसिंह का नवलगढ़ झुन्झुनूं	18-05-69	SC	रामावि सुल्तानपुरा, नवलगढ़, झुन्झुनूं
11	6706	72-98	पवन कुमार स्वर्णकार/गणपतराम स्वर्णकार राउमावि जैगणिया बिदावतान चूरु	03-02-69	GEN	राउमावि जोगलिया, सुजानगढ़, चूरु


(सुरेन्द्र सिंह गौड़)
संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
चूरु सम्भाग, चूरु